डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस

भूपसिंह बनाम रूपसिंह वगै0

मुकदमा नंबर 80 / 2008 दावा बाबत् 88,89,188,रा0का0 अधिनियम

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नं. 4130 रकवा 0.25 वाके ग्राम कबई तहसील नदबई को नक्शे में व तरफ पूर्व दर्शित किया जावे तथा खसरा नं. 4131 रकवा 0.09 वाके ग्राम कबई तहसील नदबई का नक्शा को व तरफ पश्चिम दर्शित किया जावे तथा रकवा के मुताबिक नक्शा में तलवी की जावे तथा प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई डिक्री से पाबंद किया जाता है। कि वे वादीगण की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे। तदानुसार नक्शा दुरूस्त किया जावें।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04.03.2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत——

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

मुददई	रूप्या	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

1. भूपसिंह (मृतक)

1/1. दुलीचन्द पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/2. कमलसिंह पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/3. चन्द्रभान पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/4. लेखराम पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/5. प्रकाश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/6. विजेन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/7. गिरधारी पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/8 महेश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/9 रामपति वेवा भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

2. मौहरसिंह पुत्र परसादी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह पिसरान रामसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

2. शिवचरन पिसरान रामसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई

3. अमरसिंह (मृतक)पिसरान जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई

3/1. परमानन्द उर्फ धनकर पिसरान अमरसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम न0 कबई तह0 नदबई जिला भरतपुर

3/2. जयसिंह पिसरान अमरसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई

3/3. लीला वेवा अमरसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई

3/4. पुष्पेन्द्र पुत्र अमरसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला

4. मोहनसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला

5. अशोक पुत्र प्रहलाद जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला

6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब नदबई

प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

04/03/14

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 80 / 2008
किस्म दावा 88,89,189 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 04.03.2021

1. भूपसिंह (मृतक)
   1/1. दुलीचन्द पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/2. कमलसिंह पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/3. चन्द्रभान पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/4. लेखराम पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/5. प्रकाश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/6. विजेन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/7. गिरधारी पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/8 महेश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
   1/9 रामपति वेवा भूपसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. मौहरसिंह पुत्र परसादी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह पिसरान रामसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
2. शिवचरन पिसरान रामसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला
3. अमरसिंह (मृतक)पिसरान जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला
   3/1. परमानन्द उर्फ धनकर पिसरान अमरसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

   3/2. जयसिंह पिसरान अमरसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई

   3/3. लीला वेवा अमरसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला
   3/4. पुष्पेन्द्र पुत्र अमरसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला
4. मोहनसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला
5. अशोक पुत्र प्रहलाद जाति जाटान निवासी ग्राम नगला कबई तहसील नदबई जिला
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब नदबई

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

उपस्थित (1) अधिवक्ता श्री अशोक कुमार बिहारिया(वादीगण की ओर से)

(2) पैराकार सरकार तहसीलदार नदबई

दावा इस्तकरार हक बावत् किये जाने दुरूस्ती नक्शा में अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय

1. यह कि हाल बन्दोवस्ती संवत 26060 के खसरा नम्बर 4130 रकवा 0.25 जिसका खातेदार काश्तकार वादीगण व खसरा नम्बर 4131 रकवा 0.09 जिसका खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण को भूप्रबंध विभाग द्वारा दर्ज किया गया है। उक्त दोनो खसरा नम्बरान गत खसरा नम्बरान 3469 मिन रकवा 1.00 व 3469 मिन रकवा 0.007 से निर्मित किए गये है।
2. यह कि उक्त साबिक खसरा नम्बर 3469 रकवा 1 बी. 7 वि. वादीगण के पिताओं की खातेदारी में दर्ज थी जिसकी खातेदारी हासिल करने हेतु एक वाद प्रतिवादीगण के पिता रामचन्द द्वारा वादीगण के पिताओं के खिलाफ मि. नं. 540/78 उनवानी मुकदमा रामसिंह बनाम रामचन्द वगै0 अदालत श्रीमान सहायक जिलाधीश प्रथम भरतपुर में प्रस्तुत किया गया था जो वर विनाय राजीनामा उक्त खसरा नम्बर साबिक 3469 मिन रकवा 0.7 का प्रतिवादीगण के पिता रामसिंह को अदालत रीमान द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.12.79 को वजानिव पश्चिम का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा शेष रकवा 1.00 बीघा बावत् वाद खारिज फरमा दिया गया था तदनुसार वादीगण के पिता व अब वादीगण कब्जे व मौके अनुसार उक्त साबिक ख. न. 3469 मिन रकवा 1 बी. वाजानिब दिशा पूर्व व प्रतिवादीगण के पिता व अब प्रतिवादीगण शेष रकवा खसरा नम्बर साबिक 3469 मिन रकवा 1.07 पर अपने कब्जे मौके अनुसार वाजानिव दिशा पश्चिम में काबिज है। व [illegible] आराजी मुतनाजा में वादीगण के मकान व नौहरे वाजानिव दिशा पूर्व व प्रतिवादीगण के हिस्से में वाजानिब पश्चिम मकान व नौहरे बने है। व इसी अनुसार दोनो पक्षकारान अपने अपने हिस्से आराजी पर काबिज है। लेकिन भूप्रवन्ध विभाग ने संबत 2060 द्वारा रकवात [illegible] पक्षो को पूर्वानुसार सही दर्ज किया गया लेकिन उक्त साबिक खसरा नम्बर 3469 से बने हाल खसरा नम्बरान 4130 व 4131 को नक्शे में विपरीत दिशाओं में दर्ज कर छोटा बड़ा किया गया है जो कि पूर्व इन्द्राजात के विपरीत व कब्जे मौके के विपरीत भू. प्रबन्ध विभाग को नक्शे में फेरबदल करने का कोई कानूनी हक हासिल नही हैं लिहाजा साबिक खसरा नम्बर 3469 मिन रकवा 1 बीघा से बने हाल 4130 रकवा 0.25 हैक्टेयर को दिशा पूर्व में दर्ज कर नक्शे को बड़ा किया जावे। तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 4131 रकवा 0.09 हैक्टे. को दिशा पश्चिम में दर्ज कर नक्शे को छोटा दर्शाया जावे तथा उपरोक्त अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे।
3. यह कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शे में गलत इन्द्राजात के आधार पर वादीगण को आपने हिस्से दिशा पूर्व से बेदखल करने की धमकी दिनांक 20.7.06 को दी है। अगर वादीगण अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज०

उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति करें ... की से ना हो सकेगी। वादी वजह डिक्री हुक्म इमताई दवामी खिलाफ प्रतिवादगण आशय की जारी की जावे कि वे खसरा नम्बर 4130 रकवा 0.25 दिशा पूर्व में दुरूस्ती करने के पश्चात मदाखलत व मजाहमत न करे।

4. यह कि विनाय मुखास्मत योम देने धमकी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल करने की धमकी दिनांक 20.07.06 को दिए जाने से यह दावा पत्र श्रीमान में पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।
5. यह कि पक्षकारान व आराजी मुतनाजा श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने व निवास करने से न्यायालय श्रीमान को वादपत्र श्रवण का अधिकार हासिल है।
6. यह कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 6 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।
7. यह कि कोर्ट फीस व तलवाना नियमानुसार हस्ब कायदा चस्पा करके पेश है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार की डिक्री फरमाया जावे।

अ. यह कि वादीगण के आराजी खसरा नम्बर हाल बन्दोबस्ती 4130 रकवा 0.2 वाके ग्राम कबई को नक्शे में दिशा पूर्व में अंकित कर नक्शे को बड़ा दर्शाया जावे तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 4131 रकवा 0.09 है। जो प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज हैं नक्शे में दिशा पश्चिम में दर्ज किया जावे व नक्शे को छोटा दर्शाया जावे तदनुसार नक्शे में तरमीम की जावे।

ब. यह कि वाद दुरूस्ती नक्शा प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इमतनाई दवामी से पावंद फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 4130 रकवा 0.25 हैक्टे. वाके कबई दिशा पूर्व में कोई मदाखलत व मजाहमत न करे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी 1 लगायत 5 की ओर से श्री पृथ्वीसिंह एण्डवोकेट उपस्थित ... जवाब दावा पेश किया गया, प्रतिवादी स. 6 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में ...

जबाब दाव प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 की और से पेश किया गया जिसमें निम्नांकित तथ्यो का वर्णन किया गया। जो इस प्रकार है:--

1. यह कि वाद पत्र की मद सं. 1 हम प्रतिवादीगण को स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र की मद सं. 2 हम को स्वीकार नही है। यह उक्त रकवा पर प्रतिवादी के रिहायशी मकान सन 1955 से बने हुए है। जिन पर प्रतिवादी गण शान्ति पूर्वक काबिज रहते चले आ रहे हैं जो आबादी भूमि से लगा हुआ है। जिसके पूर्व दिशा, करीबन 16 फुट आम रास्ता है। जिसको मात्र पंचायत नदबई द्वारा करीवन 15 वर्ष पूर्व खारंजा निर्माण करा दिया गया है। इसी प्रकार वादीगण के मकान के पश्चिम दिशा में 16 फुट आम रास्ता एवं उत्तर दिशा में 16 आम रास्ता एवं उत्तर दिशा में 16 फुट आम रास्ता बना हुआ है। जिसका ग्राम

सहायक ... एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰
Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत कबई द्वारा 15 साल पहले खरंजा निर्माण करा दिया गया था और अब सन् मार्च 2007 में एम एल ए कोटा से खरंजा मेंके टूट–भूट जाने पर सी सी रोड का पुनः निर्माण हो चुका हैं बन्दोबस्त विभाग ने अपने रेवेन्यु रिकार्ड में मौके के मुताबिक सही नक्शा बनाया है।

3. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मकानों के मध्य 16 फुट का आम रास्ता होने की वजह से दिनांक 20.07.2006 को धमकी दी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं
4. यह कि वाद पत्र की मद सं. 4 स्वीकार नही है।
5. यह कि वाद पत्र की मद सं. 5 कानूनी है। एवं काबिले गौरा अदालत है।
6. यह कि प्रतिवादीगण के मकान करीबन 55 साल पूर्व अपने रकवा खसरा नम्बर 4131 रकवा 0.09 हैक्टे. पर बना हुआ है। जिस पर हम प्रतिवादीगण शान्ति पूर्ण काबिज है। तथा आबादी भूमि के रूप में काम लेते चले आ रहे है। हम मकानों के पूर्व दिशा में करीबन 16 फुट चौडा आम रास्ता है। जिसका पहले करीबन 15 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत नदबई द्वारा खरजा निर्माण किया गया। इसके टूट फुट जाने पर एम एल ए कोटा से मार्च 2007 में उक्त आम रास्तों का सी सी रोड का निर्माण इसी साल मार्च माह में हुआ है। इस प्रकार उक्त रकवा आबादी भूमि परिवर्तित कर लेने की वजह से अदालत श्रीमान को सुनवाई का अधिकार हासिल नही है। अतः दावा वादीगण काबिल खारिजी के है। तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार नही है।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जबाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी। जो निम्नानुसार है :–

1. आया अदालत हाजा द्वारा साबिक खसरा 3469 रकवा 1.07 मिन में से रकवा 0.07 जिसका हाल खसरा नम्बर 4131 रकवा 0.09 को निर्णय दिनांक 20.12.1979 से प्रतिवादीगण के पिता रामसिंह को पश्चिम दिशा का खातेदार काश्तकार घोषित किया था शेष रकवा के वादीगण के पिता खातेदार बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। –जिम्मेवादी
2. आया भू. प्र0 विभाग द्वारा मौके के विपरीत को इन्द्राजात वादीगण व प्रतिवादीगण के उक्त साबिक खसरा नं. से बने हाल नम्बर क्रमशः 4130 रकवा 0.25 व 4131 रकवा 0.09 को नक्शे में विपरीत दिशाओं में व छोटा बड़ा दर्शाया है उसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण के खसरा नम्बर 4130 को दिशा पूर्व में दर्ज कर नक्शे को बड़ा किये जाने व प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 4131 को दिशा पश्चिम में दर्ज कर नक्शे को छोटा दर्शाया जाकर नक्शे में तरमीम करा पाने के वादीगण अधिकारी है। –जिम्मेवादी
3. आयावादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है। जिम्मेवादी
4. आया उक्त रकवा आबादी भूमि होने की वजह से अदालत हाजा को सुनवाई का हक हॉसिल नही है। –जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत 2062–2065 वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श –1, नकल जमाबंदी संवत 2051–2055 वाके ग्राम कबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज०

द्वितीय, नकल नक्शा ट्रेस किता 2 वाके ग्राम कबई द्वितीय, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.1979 उनवान रामसिंह बनाम रामचन्द वगै0 तथा मौखिक बयान के रूप में शपथपत्र वादी भूपसिंह पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी कबई तथा मौहरसिंह पुत्र मुतवना परसादी जात जाट निवासी नगला कबई पेश किये गये। इनसे जिरह प्रतिवादी पैराकार सरकार द्वारा की गई।

प्रतिवादी की ओर से अपने जबाब के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया, व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक बयानो का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है।

1. आया अदालत हाजा द्वारा साबिक खसरा 3469 रकवा 1.07 मिन में से रकवा 0.07 जिसका हाल खसरा नम्बर 4131 रकवा 0.09 को निर्णय दिनांक 20.12.1979 से प्रतिवादीगण के पिता रामसिंह को पश्चिम दिशा का खातेदार काश्तकार घोषित किया था शेष रकवा के वादीगण के पिता खातेदार बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है।

   उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था वादीगण ने नकल निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 20.12.1979 पेश की गई जिसमें खसरा नम्बर 3469 रकवा 0.7 विस्बा पर रामसिंह वादी को व वाजिनिक पश्चिम खातेदार घोषित किया गया है। तथा 1 बीघा के बाबत् दावा खारिज किया गया हैं इसका मतलब है। कि खसरा नं. 3469 रकवा 0.7 विस्बा व तर्क पश्चिम रामसिंह जिसके वारिसान प्रतिवादीगण है को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया हैं तथा खसरा नं. 3469 रकवा 1 बीघा पर व तर्क पूर्ण वादीगण को खातेदार घोषित किया गया है। रामसिंह की मृत्यु के बाद विरासतन से नामांतरण सं. 896 से प्रतिवादीकी खातीदारी अंकित हो गई वादीगण द्वारा प्रस्तुत ब्यानो से भी तथ्यो की ताहित होती है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध सिद्ध की जाती है।

2. आया भू. प्र0 विभाग द्वारा मौके के विपरीत को इन्द्राजात वादीगण व प्रतिवादीगण के उक्त साबिक खसरा नं. से बने हाल नम्बर क्रमशः 4130 रकवा 0.25 व 4131 रकवा 0.09 को नक्शे में विपरीत दिशाओं में व छोटा बड़ा दर्शाया है उसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण के खसरा नम्बर 4130 को दिशा पूर्व में दर्ज कर नक्शे को बड़ा किये जाने व प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 4131 को दिशा पश्चिम में दर्ज कर नक्शे को छोटा दर्शाया जाकर नक्शे में तरमीम करा पाने के वादीगण अधिकारी है।

   उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था वादीगण द्वारा विवादित आराजी खसरा नं. 4130, 4131 का मौखा निरीक्षण क[illegible] नदबई को नियुक्त किया गया जिसपर तह. नदबई ने 04.10.2020 को [illegible] खसरा नं. 4130 रकवा 0.25 पर रामपति बेबा भूपसिंह वादीगण की खातेदारी [illegible] रही है। तथा खसरा नं. 4131 रकवा 0.09 पर प्रतिवादीगण की खातेदारी अंकित हो र[illegible] है। जबकि मौके पर खसरा नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰

4130 रकबा 0.25 पर व तर्फ को वादीगण का काबिज चले आ रहे है। तथा खसरा नं0 4131 रकबा 0.09 व तर्फ पश्चिम प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे हैं तथा न्यायालय के निर्णय मुताबिक काबिज चले आ रहे है। सैटेलमेंट विभाग द्वारा गलत नक्शा बनाकर उन पर गलत खातेदारी अंकित की है। जबकि मुताबिक न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय व डिक्री तारीख 20.12.1979 के अनुसार पूर्व खसरा नं. 4130 रकबा 0.25 दर्शित करके उस पर वादीगण की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए तथा खसरा नं. 4131 रकबा 0.09 पर व तरफ पश्चिम प्रतिवादीगण की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए। अतः मुताबिक तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 के अनुसार यह तनकी वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध सिद्ध की जाती है।

3. आयावादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था वादी ने स्वयं का ब्यान पी.डब्लू.1 तथा मनोहर सिंह पी.डब्लू 2 के ब्यान कराये गये जिन्होने बताया कि प्रतिवादी ने 20.07.2006 को वादीगण को अपने हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी गई जबकि प्रतिवादीगण ने इसके विरोध में कोई साक्ष्य तथा मौखिख साक्ष्य पेश नही किये अतः उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध सिद्ध की जाती है।

4. आया उक्त रकबा आबादी भूमि होने के कारण अदालत हाजा को सुनवाई का हक हॉसिल नही है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था विवादित आराजी वर्तमान में किस्म बंजड़ दर्ज है। ऐसी स्थिति में इस वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरोध व वादीगण के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र डिक्री किया जाना उचित है। अतः आदेश है कि आराजी खसरा नं. 4130 रकबा 0.25 वाके ग्राम कबई तहसील नदबई को नक्शे में व तरफ पूर्व दर्शित किया जावे तथा खसरा नं. 4131 रकबा 0.09 वाके ग्राम कबई तहसील नदबई का नक्शा को व तरफ पश्चिम दर्शित किया जावे तथा रकबा के मुताबिक नक्शा में तलवी की जावे तथा प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई डिक्री से पाबंद किया जाता है। कि वे वादीगण की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे। तदानुसार नक्शा दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.20... को ... लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर ... ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज ...)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.